	कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर पंचायत तकनीकी सहायक का संविदा रद्द करने से संबंधित कार्यवाही का –: अभिलेख :–	
तिथि	आदेश	आदेश अनुपालन का ब्योरा
30/04/2016	ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–257035 दिनांक–31.12.2015 से प्राप्त निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए मनरेगा का श्रम बजट, SRDP तथा CPDP के तहत योजना के चयन एवं ग्राम सभा आयोजित करने हेतु जिला स्तर से सभी संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों को विस्तृत दिशा–निर्देश अभिकरण के पत्रांक–47 दिनांक–04.01.2016, 95 दिनांक–09.01.2016 एवं 355 दिनांक–03.02.2016 द्वारा दिया गया था तथा संपूर्ण Planning Exercise के दौरान सभी संबंधित कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य की गयी थी । उक्त के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, सकरा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री प्रशांत कुमार, पंचायत तकनीकी सहायक 15 दिनों से बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से IPPE-2 अंतर्गत किये जा रहे वार्डवार Planning Exercise से अनुपस्थित है, जिस कारण कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। उक्त के आलोक में अभिकरण के ज्ञापांक–163 दिनांक–15.01.2016 के द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री कुमार द्वारा अपने स्पष्टीकरण में पुनः इस प्रकार की गलती नहीं दुहराने के संबंध में लिखित रूप से अवगत कराते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में एक मौका दिया गया। परंतु प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–कार्यक्रम पदाधिकारी, सकरा द्वारा अपने पत्रांक–40 दिनांक–01.03.2016 से से प्रतिवेदित किया गया कि श्री कुमार दिनांक–17.12.2015 से लगातार अनुपस्थित है तथा दूरभाष पर भी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री कुमार के अनुपस्थिति के कारण प्रखंड में मनरेगा योजना का कार्यान्वयन प्रभावित हो रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री कुमार से अभिकरण के पत्रांक–1017 दिनांक–19.03.2016 द्वारा पुनः स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री कुमार द्वारा असंतोषजनक उत्तर दिया गया जो स्वीकार्य योग्य नहीं है। उपर्युक्त यह दर्शाता है कि पूर्व में अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप पर श्री कुमार को चेतावनी देते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त करते हुए एक मौका प्रदान किये जाने के बावजूद इनके कार्यकलाप में कोई सुधार नहीं आया तथा ये कार्य के प्रति लगातार लापरवाही बरतते रहे। इस प्रकार इनके द्वारा किये गये अनुबंध शर्त्त की कंडिका–14 का भी उल्लंघन स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। अतः ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–8574 दिनांक–22.09.2009 के आलोक में मैं अरविन्द कुमार वर्मा, भा0प्र0से0, उप विकास आयुक्त–सह–अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा, मुजफ्फरपुर श्री प्रशांत कुमार, पिता–श्री उमा शंकर प्रसाद सिंह, प्रथम पश्चिमी रेलवे गुमटी, श्री कृष्णा नगर, थाना–मेहसौल, जिला–सीतामढ़ी, पिन–843302 जिनका रौल	शून्य

E:DRDA/Veena G/Naveen/G.Letter

नम्बर–213675 है, की संविदा आदेश निर्गत की तिथि से रद्द की जाती है। इस आदेश की प्रति संबंधित पंचायत तकनीकी सहायक/कार्यक्रम पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी –सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा तथा ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को भेंजे।

(लेखापित एवं संशोधित)

(हस्ताक्षर) 30/04/16 — उप विकास आयुक्त–सह–
अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक
मनरेगा, मुजफ्फरपुर।

(हस्ताक्षर) 30/04/16 — उप विकास आयुक्त–सह–
अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक
मनरेगा, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक : 1567 / अभि0, मुज0 दिनांक– 5 /05/2016

प्रतिलिपि : सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : आयुक्त (तिरहुत प्रमण्डल), मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : प्रखंड विकास पदाधिकरी, सकरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : कार्यक्रम पदाधिकरी, (मनरेगा), सकरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, मुजफ्फरपुर को जिला के बेवसाइट पर प्रदर्शनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री प्रशांत कुमार, पिता–श्री उमा शंकर प्रसाद सिंह, प्रथम पश्चिमी रेलवे गुमटी, श्री कृष्णा नगर, थाना–मेहसौल, जिला–सीतामढ़ी, पिन–843302 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : स्थापना प्रभारी, मनरेगा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 30/04/16

उप विकास आयुक्त –सह–
अपर जिला कार्यकम समन्वयक
मनरेगा, मुजफ्फरपुर।